न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का बंगाल

बनाम

अप्रार्थी :– श्री जगदीशप्रसाद/खुजाराम निवासी मासापुर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 01 / 18

निर्णय 23.5.18 दिनांक 23.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बंगाल ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद मासापुर के खसरा नम्बर 545 मी. किस्म गैर मुमकिन रास्ता 0.0016 है. में रकबा 0.0016 है. बीघा भूमि में लेटरिन बाथरूम लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वादि धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा मासापुर के खसरा नम्बर 545 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में रकबा 0.0016 है. बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0016 है बीघा भूमि के 00.0096 रूपये लगान का 50 गुणा 1.50 /– अक्षरे एक रूपये रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 23.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा